राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः लेखा–12(प्रोग्राम)आं.जां./आं.जां.का./2024–25/3493 दिनांकः 27/12/24

:–आन्तरिक अंकेक्षण कार्यक्रम आदेशः–

क्षेत्रीय कार्यालयों एवं निदेशालय के आन्तरिक अंकेक्षण दलों को अंकेक्षण कार्यक्रम (माह जनवरी 2025 से मार्च 2025) जारी करते हुए निम्नांकितानुसार निर्देशित किया जाता हैः–

1. वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प–6(10) वित्त/अंकेक्षण/2015 दिनांक 13.07.2017 के द्वारा जारी आदेशों में दिये गये निर्देशानुसार अंकेक्षण कार्य सम्पादित करावें, एवं दिनांक 01.08.2017 कार्य विवरण में निर्देशित बिन्दुओं की अनुपालना सुनिश्चित करावें।
2. प्रत्येक माह के प्रथम कार्य दिवस पर समस्त अंकेक्षण दल सम्बन्धित संभाग मुख्यालयों/निदेशालय पर उपस्थित रहेंगे।
3. समस्त अंकेक्षण दल प्रभारी अंकेक्षण कार्यालय में, अंकेक्षण प्रारम्भ करते ही कार्यालय के नाम, दूरभष नं., ई–मेल आईडी आदि से वित्तीय सलाहकार/लेखाधिकारी को दूरभाष पर अवगत करावे। इसकी सूचना पत्र के माध्यम से एवं वित्तीय सलाहकार की ई–मेल आईडी (FAMH-RJ@NIC.IN)पर भी भिजवावें। जांच दल अपनी **लाईव लोकेशन** स्टेटस प्रत्येक कार्य दिवस में 10:30 बजे तक आवश्यक रूप से आन्तरिक जांच Whats App. Group/ लेखाधिकारी के दूरभाष नंबर 9828590350 पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। **अंकेक्षण दल प्रभारी अंकेक्षण दल द्वारा किये जा रहे कार्य का दिनांक वार संक्षिप्त पाक्षिक कार्य विवरण नियमित रूप से माह में दो बार (दिनांक 5 एवं दिनांक 20 तक) लेखाधिकारी (अंकेक्षण) एवं सम्बन्धित संयुक्त निदेशक कार्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करें। इसके अभाव में अंकेक्षण दलों के यात्रा भत्ता बिल प्रतिहस्ताक्षर किये जाने सम्भव नहीं होंगे।**
4. (i) समस्त अंकेक्षण दल प्रभारियों को निर्देशित किया जाता है कि अंकेक्षण कार्य के दौरान संबन्धित कार्यालय के समस्त बकाया आन्तरिक अंकेक्षण प्रतिवेदनों की समीक्षा की जावें। समस्त बकाया आक्षेपों की अनुपालना प्राप्त करें। जो पैरा नियमों के अनुसार अनुपालना प्राप्त होने पर अंकेक्षण प्रभारी निरस्त योग्य पैरा के सम्बन्ध में अभिशंषा करेंगे, एवं शेष बकाया पैराज को वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भाग स में अंकित करेंगे। इन निर्देशों की कड़ाई से पालना की जावें। इसके अभाव में अंकेक्षण प्रतिवेदनों को स्वीकार नहीं किया जावेगा।

   (ii) समस्त अंकेक्षण दल प्रभारियों को निर्देशित किया जाता है कि इस कार्यालय के पत्रांक 1831 दिनांक 31.08.2020 के द्वारा जारी निर्देशानुसार अंकेक्षण कार्य सम्पादित करते हुए कार्यालयों द्वारा ओपीडी/आईपीडी/अन्य स्त्रोतों से प्राप्त राशि को राजकोष में जमा न कराने, सत्यापन में राशि उपलब्ध न होने को गंभीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में मानते हुए तथ्यों का नियमानुसार उचित विवेचन करते हुए तदनुरूप अनुच्छेद गठित किया जाये।

   (iii) जिन आक्षेपों को सत्यापन की शर्त पर निरस्त किया गया है उनका संस्था की अद्यतन पालना के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक रेकार्ड देखकर सत्यापित करे एवं अनुपालना में स्पष्ट टिप्पणी करें कि संस्था द्वारा आक्षेप की पालना पूर्ण एवं सही की गयी है। ऐसे आक्षेपों को निरस्त किये जाने की सिफारिश अलग से पत्र द्वारा अंकेक्षण दल प्रभारी द्वारा की जावे और यदि पालनानुसार कार्यवाही पूर्ण नहीं पायी जावे तो ऐसे आक्षेपों को प्रतिवेदन के भाग–"स" में पुनः सम्मिलित कर लिया जावे।
5. प्रमुख शासन सचिव, वित्त (व्यय–1) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर की स्वीकृति आई.डी. सं. 151000473 दिनांक 21/05/2010 एवं प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के आदेश क्रमांक F.1(98)NRHM/Acctts/2009/6179दिनांक 31/05/2010 के अनुसरण में समस्त आंतरिक अंकेक्षण दल विभागीय अभिलेखों के अंकेक्षण के साथ राष्ट्रीय

ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन से सम्बन्धित अभिलेखों (मय जननी सुरक्षा एवं जननी शिशु सुरक्षा योजना के अभिलेखों के) का आंतरिक अंकेक्षण कार्य भी पूर्ण करेंगे।

इस सम्बन्ध में अंकेक्षण दलों द्वारा प्रतिवेदन दो प्रतियो में तैयार किया जावेगा, एक प्रति चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की मदों से सम्बन्धित होगा तथा द्वितीय प्रति राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन से सम्बन्धित होगा जिसमें जननी सुरक्षा एंव जननी शिशु सुरक्षा योजना के भुगतानों के बारे में विशेष उल्लेख किया जावेगा।

आंतरिक अंकेक्षण दलों द्वारा दोनों जांच प्रतिवेदन (विभागीय अभिलेखों एवं एन.आर.एच.एम. अभिलेखों के अलग–अलग) पूर्व की भांति अद्योहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाये जावेंगे।

6. **निदेशालय के पत्रांक लेखा–12(5)/आं.अंके./मु.नि.द.यो./2015/880 दिनांक 28.05.2013 के द्वारा एम.एन.डी.वाई/एम.एन.जे.वाई. के सम्बन्ध में रिकॉर्ड की जांच हेतु निर्देश दिये गये है उक्त योजना के सम्बन्ध में रिकॉर्ड की जांच कर आक्षेप/टिप्पणी गठित किया जाना सुनिश्चित करावें।**
7. अंकेक्षण के दौरान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य लेखा मदों तथा एन.आर.एच.एम. एवं अन्य योजनाओं के लेखा मदों से सम्बन्धित समस्त लेखा रिकॉर्ड सहित आर.एम.आर.एस. के लेखों की जांच की जावें। गठित किये जाने वाले आक्षेपों में आक्षेप का विवरण (विषय वस्तु) सम्बन्धित नियमों जिनका उल्लंघन हुआ है, का स्पष्ट उल्लेख किया जावें एवं आक्षेप में अपेक्षित कार्यवाही या सुझाव प्रस्तावित किया जावें। समय–समय पर जारी किये गये अग्रिमों एवं उनके समायोजन की जांच की जाकर प्रतिवेदन में अलग से आक्षेप गठित किये जावें।
8. आंतरिक अंकेक्षण दलों द्वारा जांच कार्य के दौरान जारी किये जाने वाले समस्त मांग–पत्रों (मीमोज) के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्युत्तर एवं मांग पत्रों को प्रतिवेदन के एनेक्सर के रूप में सम्मिलित किये जावे।
9. अंकेक्षण समाप्ति पर निरीक्षण प्रतिवेदन पर कार्यालयाध्यक्ष से विचार विमर्श कर तथ्यों की पुष्टि स्वरूप प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करवाकर विभागीय बजट मद (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य लेखा मद) से सम्बन्धित प्रतिवेदन तीन प्रतियों में तथा एन.आर.एच.एम. अभिलेखों का प्रतिवेदन चार प्रतियों में 7 दिवस में अगले कार्यालय से अद्योहस्ताक्षरकर्ता को रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें तथा प्राप्ति रसीद प्राप्त कर रखी जावें। विलम्ब से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, ड्यूटी से अनुपस्थित माना जाकर आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जा सकती है जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।
10. संबंधित कार्यालय में पूर्व जांच प्रतिवेदन की प्रथम अनुपालना प्राथमिकता के आधार पर तैयार कर निदेशालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित् करावे।
11. अंकेक्षण दल में सहायक लेखाधिकारी/प्रभारी का पद किन्हीं कारणों से रिक्त होने/अवकाश पर होने की स्थिति में कनिष्ठ लेखाकार के द्वारा सहायक लेखाधिकारी, मुख्यालय संबंधित जोन के पर्यवेक्षण में/साथ में जांच कार्य किया जावे। अंकेक्षण दल प्रभारी अधिकारी एवं सदस्य, अंकेक्षण प्रतिवेदन के प्रत्येक पृष्ठ पर पृष्ठ संख्या अंकित करते हुए लघु हस्ताक्षर करेंगे।
12. बिना पूर्व अनुमति के कार्य स्थल का त्याग नहीं करें। यदि अंकेक्षण दल के प्रभारी या सदस्य को किसी कारण से ड्यूटी मुख्यालय छोड़ना हो तो उसकी सूचना दूरभाष/फैक्स से अद्योहस्ताक्षरकर्ता को तत्काल दी जाय। ऐसा न करने पर सम्बन्धित के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
13. **जारी किये गये त्रैमासिक अंकेक्षण कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित अवधि में ही अंकेक्षण कार्य सम्पादित करे। अंकेक्षण कार्यक्रम में यदि किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन वांछनीय हो तो अद्योहस्ताक्षरकर्ता की बिना पूर्व अनुमति के परिवर्तन नहीं किया जावें। विशेष परिस्थितियों में समय अवधि विस्तार की पूर्व अनुमति हेतु कारणों से अवगत कराते हुए किये गये कार्य व शेष रहे अंकेक्षण कार्य का संक्षिप्त विवरण पर्याप्त समय पूर्व ई–मेल के माध्यम से प्रेषित करें। बिना**

अनुमति के किया गया परिवर्तन/संशोधन जानबूझकर की गयी आदेशों की अवहेलना मानते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

14. अंकेक्षण के दौरान कोई भी अनियमितता का बार–बार उजागर होना पाया जावे एवं अंकेक्षण दल प्रभारी आवश्यक समझे तो ऐसी मदों के सम्बन्ध में ऐसे सम्पूर्ण कार्यकाल का विस्तृत अंकेक्षण किया जावे। यदि ऐसी कोई भी गम्भीर वित्तीय अनियमिततायें अथवा हानि अंकेक्षण के दौरान उजागर हुयी हो तो उसका उल्लेख उपसंहार में भी किया जावे।

15. अंकेक्षण कार्यक्रम में उल्लेखित कार्यालयों में यदि **''मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी''** संचालित हैं तो उनके लेखों का अंकेक्षण आरएमआरएस नियमावली के अनुसार संस्था द्वारा किये जाने वाले व्यय विभागीय नियमों एवं परिपत्रों के अनुसार ही किये जाने संबंधित आक्षेप का आवश्यक रूप से उक्त निर्धारित अवधि में किया जाकर **विभागीय लेखामद (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य बजट मद) से सम्बन्धित अंकेक्षण प्रतिवेदन में इन आक्षेपों को सम्मिलित किया जावे।**

16. **समस्त आन्तरिक जांच दलों को निर्देशित किया जाता है कि इस कार्यालय के आदेश क्रमांक लेखा/आं.जां./विविध–III/2020/1831 दिनांक 31.08.2020 की पालना सुनिश्चित करें एवं कार्यालय द्वारा आरएमआरएस में किसी प्रकार की ओपीडी/आईपीडी/अन्य स्त्रोतोंसे प्राप्त आय के सम्बन्ध में अनियमितता न पाये जाने पर भी प्रतिवेदन में इसका उल्लेख करें साथ ही ओपीडी/आईपीडी/अन्य स्त्रोतों से प्राप्त आय का भौतिक सत्यापन कर (नकद व बैंक शेष में) उपलब्ध शेष के अनुसार पैरा गठन करें। प्रतिवेदन में इस सम्बन्ध में उल्लेख न किये जाने पर आं.जां. दलों को यात्रा–भत्ता बिलों का भुगतान नहीं किया जायेगा एवं नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।**

17. RMRS में OPD/IPD या अन्य स्त्रोतों से प्राप्त आय को विलम्ब से बैंक खाते में जमा करवाने पर नियमानुसार ब्याज की गणना कर पूर्व विवरण अंकित करें।

18. अधीनस्थ कार्यालयों में संचालित आरएमआरएस खाते में प्राप्त आय के व्यय हेतु राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसायटी 2018 एवं संशोधित आदेश दिनांक 31.03.2023 के द्वारा विभिन्न मदों पर व्यय की सीमा स्पष्ट रूप से निर्धारित की गयी है। जांच दल सम्बन्धित संस्था के लेखों के अंकेक्षण के समय आरएमआरएस में प्राप्त आय एवं किए गये व्यय का पूर्ण अंकेक्षण कर निर्धारित सीमा से अधिक व्यय का उल्लेख प्रतिवेदन के आक्षेप में अनिवार्य रूप से करें। निर्देशों की अवहेलना पर जांच दल स्वयं उत्तरदायी होगा।

19. आक्षेपों में आक्षेपित हानि/अनियमित राशि का हवाला देते हुए पैरा के शीर्षक में भी राशि का स्पष्ट अंकन करें। हानि/अनियमितता के लिए उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी का नाम व पदनाम आक्षेप में स्पष्ट अंकित करें।

20. आन्तरिक अंकेक्षण प्रतिवेदन में कार्यालयाध्यक्ष के कार्यालय तथा आवास दूरभाष नम्बर व मोबाईल नम्बर के साथ ही अंकेक्षण कार्य में लिये गये कुल कार्य दिवसों की संख्या तथा गठित कुल आक्षेपों की संख्या भी अंकित की जावें।

21. स्टोर में पाई गई अनियमितताओं एवं इस संबंध में अपेक्षित कार्यवाही/सुझावों का अंकेक्षण प्रतिवेदन में आवश्यक रूप से उल्लेख करें।

22. **समस्त परिशिष्ट प्रतिवेदन के बीच–बीच में सलंग्न न करके प्रतिवेदन के अंत में एक साथ संलग्न करें, जिन पर परिशिष्ट क्रमांकों के साथ आक्षेप क्रमांक भी अंकित हो एवं प्रतिवेदन में गठित आक्षेप में परिशिष्ट संख्या व उसके पृष्ठ क्रमांकों का भी अंकन करें।**

23. **समस्त आंतरिक जांच दल प्रभारियों को निर्देशित किया जाता हैं कि पूर्व प्रतिवेदन में सत्यापन की शर्तो पर निरस्त किये गये आक्षेपों की समीक्षा अवश्य करें। आपके यात्रा भत्ता बिलों के प्रतिहस्ताक्षर के लिए यह आधार बनाया जावेगा।**

24. **समस्त आंतरिक जांच दल सदस्यो को निर्देशित किया जाता है कि जांच दल प्रभारी के अवकाश पर रहने की स्थिति में दल सदस्यो द्वारा आंतरिक जांच कार्य निरंतर जारी रखना सुनिश्चित करें।**

25. समस्त आन्तरिक जांच दलों को निर्देशित किया जाता है कि यदि कोई आन्तरिक जांच कार्य शनिवार, रविवार एवं अन्य कारणों से राजकीय अवकाश से तुरन्त पहले दिन पूर्ण हो जाता है तो राजकीय अवकाश को जांच दल अपने मुख्यालय पर रहेंगे।

26. समस्त अंकेक्षण दल अपनी उपस्थिति हेतु निर्धारित प्रारूप में उपस्थिति पंजिका संधारण कर प्रतिमाह की 15 तारीख तक इसकी प्रति सम्बन्धित डीडीओ को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। यात्रा भत्ता बिलों के साथ उपस्थिति पंजिका आवश्यक रूप से संलग्न करें।

27. जांच दल द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के लेखों का जांच करते समय PCPNDT ACT के अधीन सोनोग्राफी, एक्सरे,MRI आदि के पंजीकरण के संबंध में प्राप्त राजस्व एवं उसके संबंध में किये गए व्यय के लेखों की जांच करें।

28. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी के लेखों की जांच करते समय PPP मोड पर संचालित एक्सरे/CT/MRI आदि के संचालन से प्राप्त राजस्व एवं भुगतान संबंधी लेखों की भी जांच करें।

29. विभागीय बजट मद एवं एन.एच.एम के प्रतिवेदनों में गंभीर आक्षेपों का प्रतिवेदन के भाग–1 अनुच्छेद 3 में स्पष्ट उल्लेख करें। संस्था द्वारा पूर्व में जांच दल को रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करवाया गया तथा बैंक समाधान विवरण आदि की जांच आवश्यक रूप से करें।

30. समस्त अंकेक्षण दल चिकित्सा एवं स्वास्थ्य केन्द्रों में विशेष कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा संचालित/संधारित राजकीय/अनुबन्धित किराये के वाहनों के संचालन उन पर किये गये व्यय का पूर्व अंकेक्षण कर आक्षेप प्रतिवेदन में सम्मिलित करें।

31. प्रतिवेदन में गबन/अनियमित/अधिक/अदेय भुगतान की वसूली एवं उस पर देय ब्याज की स्पष्ट गणना कर राशि आक्षेप के शीर्षक में आवश्यक रूप से अंकित कर उत्तरदायी कार्मिकों के नाम सहित गणना प्रपत्र प्रतिवेदन के परिशिष्ट के रूप में संलग्न करें। आक्षेप में भी परिशिष्ट का उल्लेख किया जावें।

32. अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ जांच दल प्रभारी एवं सदस्यों द्वारा किया गया प्रतिदिन कार्य विवरण **(Work Sheet)** आवश्यक रूप से संलग्न करें।

33. समस्त आन्तरिक जांच दल प्रभारी/सदस्य उक्त निर्देशों की बिन्दुवार पूर्ण अनुपालना सुनिश्चित करें। निर्देशों की अवहेलना पर अंकेक्षण दल उत्तरदायी होगा।

क्र0 सं0	अंकेक्षण दल प्रभारी/सदस्य व जोन का नाम	कार्यालय जिसका अंकेक्षण किया जाना है।	डीडीओ कोड	अंकेक्षण लेखा अवधि	अंकेक्षण हेतु निर्धारित तिथियां
1	श्री हीरा सिंह AAO-I मो. 9829869495 दल सदस्य श्री हिमांशु चौधरी,AAO-II जोन–जयपुर	बीसीएमओ, खण्डेला (सीकर)	23480	04/20 से 03/24	02.01.25 से 17.01.25
		पीएमओ फतेहपुर (सीकर)	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप 2) के आदेश दिनांक 25.10.24 में प्रदत्त बिन्दुओ के क्रम में जॉच (प्रति संलग्न)		20.01.25 से 22.01.25
		सीएचसी, मुकन्दगढ (झुन्झुनू)	28123	04/19 से 03/24	23.01.25 से 06.02.25
		पीएमओ, कोटपुतली (जयपुर)	20393	04/21 से 03/24	07.02.25 से 25.02.25
		सीएचसी, बामनवास(स0मा0)	23476	04/19 से 03/24	27.02.25 से 12.03.25
		सीएचसी, थानागाजी (अलवर)	22444	04/20 से 03/24	17.03.25 से 29.03.25
2	श्री गणेश कुमार रंगा AAO-II मो. 9929034891 दल सदस्य श्री गोपाल सिंवर AAO-II श्री महेन्द्र चौहानAAO-II जोन–जोधपुर	सीएचसी, तिंवरी (जोधपुर)	36824	प्रारम्भ से 03/24	02.01.25 से 11.01.25
		बीसीएमओ, खार्ची(पाली)	23409	04/20 से 03/24	13.01.25 से 31.01.25
		सीएचसी, बालेसर (जोधपुर)	23327	04/21 से 03/24	05.02.25 से 15.02.25
		सीएचसी,बिलारा(जोधपुर)	23320	04/21 से 03/24	17.02.25 से 28.02.25
		बीसीएमओ सिणधरी (बाडमेर)	22618	04/20 से 03/24	04.03.25 से 28.03.25

3	श्री महावीर सिंह शेखावत AAO-I मो. 9414374373 दल सदस्य श्री उदयसिंह AAO-II जोन–उदयपुर	सीएचसी भिण्डर (उदयपुर)	23562	04/21 से 03/24	02.01.25 से 11.01.25
		सीएचसी गोगुन्दा(उदयपुर)	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप 2) के आदेश दिनांक 25.10.24 में प्रदत्त बिन्दुओ के कम में जॉच (प्रति संलग्न)		13.01.25 से 14.01.25
		बीसीएमओ बेंगू (चित्तौड़गढ़)	22724	04/20 से 03/24	15.01.25 से 31.01.25
		सीएचसी बोहेडा (चित्तौड़गढ़)	35549	प्रारम्भ से 03/24	05.02.25 से 15.02.25
		बीसीएमओ निम्बाहेडा(चित्तौड़गढ़)	22728	04/21 से 03/24	17.02.25 से 12.03.25
		सीएचसी, लसाड़िया (उदयपुर)	23574	04/20 से 03/24	17.03.25 से 29.03.25
4	श्री राजेन्द्र शर्मा AAO-II मो. 8949334430 दल सदस्य श्री प्रदीप कुमावत AAO-II जोन–उदयपुर	बीसीएमओं, प्रतापगढ	23393	04/21 से 03/24	02.01.25 से 17.01.25
		सीएचसी, झाड़ोल फलासिया (उदयपुर)	23564	04/21 से 03/24	18.01.25 से 28.01.25
		पीएमओं, सलूम्बर (उदयपुर)	23578	04/21 से 03/24	29.01.25 से 18.02.25
		सीएचसी, कानोड (उदयपुर)	23567	04/21 से 03/24	19.02.25 से 28.02.25
		बीसीएमओ, भीम (राजसमंद)	23435	04/20 से 03/24	04.03.25 से 26.03.25
		पीएमओ, भीम (राजसमंद)	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप 2) के आदेश दिनांक 25.10.24 में प्रदत्त बिन्दुओ के कम में जॉच (प्रति संलग्न)		27.03.28 से 28.03.28
5	श्री संजय सोनी, AAO-I मो. 9214500000 दल सदस्य श्री अतुल शर्मा AAO-II जोन–उदयपुर	बीसीएमओं, चित्तौड़गढ़	.	04/21 से 03/24	02.01.25 से 17.01.25
		सीएचसी, बड़ागांव (उदयपुर)	23561	04/20 से 03/24	18.01.25 से 31.01.25
		पीएमओं, बस्सी (चित्तौड़गढ़)	22733	04/18 से 03/24	05.02.25 से 28.02.25
		सीएचसी, टीडी (उदयपुर)	33291	04/21 से 03/24	04.03.25 से 15.03.25
		सीएचसी, परसाद (उदयपुर)	35665	04/21 से 03/24	17.03.25 से 29.03.25
6	श्री रामचरण मीणा AAO-I मो. 9928857074 दल सदस्य श्री राकेश सिंघल AAO-I जोन–कोटा	सीएचसी,लाखेरी (बून्दी)	22672	04/20 से 03/24	02.01.25 से 11.01.25
		सीएचसी,लाखेरी (बून्दी)	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप 2) के आदेश दिनांक 25.10.24 में प्रदत्त बिन्दुओ के कम में जॉच (प्रति संलग्न)		13.01.25 से 14.01.25
		बीसीएमओ सॉगोद (बारां)	23354	04/20 से 03/24	15.01.25 से 07.02.25
		सीएचसी, मासलपुर (करौली)	23346	04/19 से 03/24	08.02.25 से 22.02.25
		सीएचसी, खण्डीप (स0मा0)	28446	04/17 से 03/24	24.02.25 से 12.03.25
		बीसीएमओं,बून्दी	31715	04/20 से 03/24	17.03.25 से 04.04.25
7	श्री चौथमल वर्मा AAO-I मो. 9414260726 दल सदस्य श्री चन्द्र मोहन मालवAAO-I जोन–कोटा	सीएचसी शीशवाली (बारां)	22591	04/17 से 03/24	02.01.25 से 18.01.25
		बीसीएमओ अटरू (बारां)	22664	04/20 से 03/24	20.01.25 से 07.02.25
		सीएचसी हिण्डोली (बून्दी)	23266	04/21 से 03/24	08.02.25 से 20.02.25
		बीसीएमओ, तालेड़ा (बून्दी)	22577	04/19 से 03/24	21.02.25 से 12.03.25
		सीएचसी सरोला (झालावाड़)	23250	04/21 से 03/24	15.03.25 से 29.03.25

8	श्री गोविन्द शर्मा AAO-I मो. 9079887859 दल सदस्य श्री धर्मेन्द्र केवलरामानी AAO-II जोन–अजमेर	सीएचसी, बिदासर (चूरू)	22788	04/21 से 03/24	11.01.25 से 21.01.25
		बीसीएमओं, तारानगर (चूरू)	22780	04/21 से 03/24	22.01.25 से 07.02.25
		पीएमओ सुजानगढ (चूरू)	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप 2) के आदेश दिनांक 25.10.24 में प्रदत्त बिन्दुओ के क्रम में जॉच (प्रति संलग्न)		10.02.25 से 12.02.25
		पीएमओं परवतसर (नागौर)	20413	04/21 से 03/24	13.02.25 से 28.02.25
		सीएचसी, साण्डेराव (पाली)	32091	04/21 से 03/24	04.03.25 से 11.03.25
		बीसीएमओं, भादरा (हनुमानगढ़)	22948	04/20 से 03/24	12.03.25 से 28.03.25
9	श्री शिव कुमार AAO-I मो. 9460034289 दल सदस्य श्री मदन लाल AAO-II जोन–अजमेर	बीसीएमओं, जैसलमेर	23227	04/21 से 03/24	02.01.25 से 16.01.25
		सीएचसी, रूपनगढ़ (अजमेर)	28675	04/21 से 03/24	17.01.25 से 25.01.25
		पीएमओं, विजयनगर (अजमेर)	20647	04/21 से 03/24	27.01.25 से 18.02.25
		बीसीएमओं, रतनगढ (चूरू)	22767	04/21 से 03/24	19.02.25 से 07.03.25
		पीएमओ रतनगढ (चूरू)	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप 2) के आदेश दिनांक 25.10.24 में प्रदत्त बिन्दुओ के क्रम में जॉच (प्रति संलग्न)		10.03.25 से 12.03.25
		सीएचसी, पीसांगन (अजमेर)	20642	04/20 से 03/24	15.03.25 से 29.03.25
10	श्री दिलीप सिंह AAO-I मो. 6377520063 दल सदस्य श्री राकेश कुमारAAO-II जोन–अजमेर	सीएचसी, भदू (नागौर)	36462	प्रारम्भ से 03/24	02.01.25 से 11.01.25
		बीसीएमओ, राजसमन्द	23438	04/21 से 03/24	13.01.25 से 31.01.25
		सीएचसी,दांतिल कोटपुतली (जयपुर)	35968	04/21 से 03/24	05.02.25 से 15.02.25
		बीसीएमओ,गंगरार (चित्तौड़गढ़)	22723	04/20 से 03/24	17.02.25 से 12.03.25
		सीएचसी अमरसर (जयपुर)	23115	04/21 से 03/24	15.03.25 से 29.03.25
11	श्री सुरेन्द्र कुमार AAO-I मो. 9413668886 जोन–भरतपुर	सीएचसी, सरमुथरा (धौलपुर)	22914	04/20 से 03/24	02.01.25 से 18.01.25
		सीएचसी, सेपउ (धौलपुर)	22915	04/19 से 03/24	20.01.25 से 08.02.25
		पीएमओं ,बाडी (धौलपुर)	22912	04/21 से 03/24	10.02.25 से 28.02.25
		सीएचसी, डीग (भरतपुर)	22695	04/20 से 03/24	04.03.25 से 15.03.25
		बीसीएमओ,बयाना(भरतपुर)	22676	04/19 से 03/24	17.03.25 से 04.04.25
12	श्री संजय मेघवाल AAO-II मो. 7568639171 दल सदस्य श्री जितेन्द्र कुमार AAO-II जोन–बीकानेर	बीसीएमओ,पदमपुर (श्रीगंगानगर)	22988	04/18 से 03/24	13.01.25 से 31.01.25
		सीएचसी, श्रीविजैनगर (श्रीगंगानगर)	23001	04/20 से 03/24	05.02.25 से 15.02.25
		सीएचसी, पॉचू (बीकानेर)	22716	04/20 से 03/24	17.02.25 से 28.02.25
		बीसीएमओ,संगरिया (हनुमानगढ़)	28144	04/20 से 03/24	04.03.25 से 28.03.25
13	श्री गुलाब चन्द कुम्हार,AAO-I मो. 9414605185 दल सदस्य श्री रोशन लाल, AAO-II जोन–बीकानेर	सीएचसी,खाजूवाला (बीकानेर)	22717	04/20 से 03/24	02.01.25 से 15.01.25
		बीसीएमओ,खाजूवाला (बीकानेर)	28085	04/20 से 03/24	16.01.25 से 31.01.25
		सीएचसी,पीलीबंगा (हनुमानगढ़)	22624	04/21 से 03/24	05.02.25 से 15.02.25
		सीएचसी,रावतसर (हनुमानगढ़)	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप 2) के आदेश दिनांक 25.10.24 में प्रदत्त बिन्दुओ के क्रम में जॉच (प्रति संलग्न)		17.02.25 से 19.02.25
		सीएचसी,टिब्बी (हनुमानगढ़)	22959	04/21 से 03/24	20.02.25 से 04.03.25
		पीएमओ सिवाना (बीकानेर)	22957	प्रारम्भ से 03/24	05.03.25 से 28.03.25

14	राहुल मीना, AAO-II मों. 8160988698 दल सदस्य श्री पवन खत्री AAO-II जोन–बीकानेर	बीसीएमओ पिपराली (सीकर)	23487	04/21 से 03/24	02.01.25 से 18.01.25
		सीएचसी,रोलसाहबसर(सीकर)	31241	04/21 से 03/24	20.01.25 से 11.02.25
		पीएमओ सरदारशहर (चूरू)	20416	04/20 से 03/24	12.02.25 से 05.03.25
		सीएचसी,गजसिंहपुर(श्रीगंगानगर)	23005	04/20 से 03/24	06.03.25 से 18.03.25
		बीसीएमओ अनूपगढ	22994	04/20 से 03/24	19.03.25 से 04.04.25
15	श्री शौकीन मीणा AAO-II मों 9461011399 जोन–जयपुर	बीसीएमओ, सिकराय (दौसा)	22927	04/20 से 03/24	02.01.25 से 24.01.25
		पीएमओ सिकन्दरा (दौसा)	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप 2) के आदेश दिनांक 25.10.24 में प्रदत्त बिन्दुओ के कम में जॉच (प्रति संलग्न)		27.01.25 से 29.01.25
		सीएचसी, कालवाड झोटवाडा(जयपुर)	35911	04/21 से 03/24	30.01.25 से 12.02.25
		पीएमओ चौमू (जयपुर)	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप 2) के आदेश दिनांक 25.10.24 में प्रदत्त बिन्दुओ के कम में जॉच (प्रति संलग्न)		13.02.25 से 15.02.25
		पीएमओ गंगापुर सिटी	25985	04/21 से 03/24	17.02.25 से 07.03.25
		सीएचसी, गोविन्दगढ़ (जयपुर)	23118	04/20 से 03/24	08.03.25 से 29.03.25

श्री रमेश कुमार [illegible] सहायक लेखाधिकारी– प्रथम दिनांक 01.01.2025 से संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जोन जयपुर मुख्यालय पर कार्य करेगें।

संलग्न· चि·स्वा·(ग्रु·2) आदेश दिनांक 25·10·24

वित्तीय सलाहकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः लेखा–12(प्रोग्राम)आं.जां./आं.जां.का./2024 25/3493 दिनांकः 27/12/24

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. मिशन निदेशक, एन.एच.एम./प्रबन्धक निदेशक, आर.एम.एस.सी., राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सहायक, निदेशक (जन स्वा.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक (वित्त), एन.एच.एम., राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज. जयपुर/अजमेर/भरतपुर/बीकानेर/जोधपुर/कोटा/उदयपुर को भेजकर लेख है कि आपके कार्यालय में पदस्थापित आन्तरिक अंकेक्षण दलों के सदस्यों को बिना अद्योहस्ताक्षरकर्ता की पूर्व अनुमति अन्य कार्य में नहीं लगाया जावें।
5. सम्बन्धित कार्यालय अध्यक्ष को भेजकर लेख है कि अंकेक्षण दल को समुचित बैठक व्यवस्था एवं आवश्यक सहयोग दिया जाना सुनिश्चित करें।
6. प्रभारी, आन्तरिक अंकेक्षण दल एव दल सदस्यों को पालनार्थ।
7. समस्त लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज. जयपुर/ अजमेर/भरतपुर/बीकानेर/जोधपुर/कोटा/ उदयपुर को सूचनार्थ।
8. श्री रामजीलाल मीणा, सहा0 लेखाधिकारी–द्वितीय/श्री कपिल मीणा सहा0 लेखाधिकारी–द्वितीय/श्री रामअवतार मीणा सहा0 लेखाधिकारी–द्वितीय/श्रीमती तनुजा गुप्ता अति0 प्रशा0 अधिकारी/श्री मोहसिन खान/श्री विकास कुमार वैष्णव/आन्तरिक अंकेक्षण दल अनुभाग (मु0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि इस आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करें।
10. रक्षित पत्रावली।

वित्तीय सलाहकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकःपं0 19(05) चिस्वा/2/अनुपालना ले.प./2022 जयपुर, दिनांकः

01. मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
राज0 जयपुर।
02. निदेशक, (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।

विषयः– जनलेखा समिति वर्ष 2024–25 ने सी.ए.जी. प्रतिवेदन (अनुपालना) वर्ष 2020–21 में समाविष्ट अनुच्छेदों के संबंध में हुई बैठक दिनांक 16.10.2024 में प्रदत्त निर्देशों के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि जनलेखा समिति वर्ष 2024–25 ने सी.ए.जी. प्रतिवेदन (अनुपालना) वर्ष 2020–21 में समाविष्ट चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित अनुच्छेदों की समीक्षा हेतु बुधवार दिनांक 16.10.2024 को मध्यान्ह पूर्व 11.00 बजे समिति कक्ष संख्या–355 (तृतीय तल) में आयोजित साक्ष्य/बैठक मे हुई चर्चानुसार, निम्नानुसार बिन्दुओं पर कार्यवाही/टिप्पणी अविलम्ब भिजवाया जाना सुनिश्चित करावेः–

1. ट्रोमा सेन्टर्स में रिक्त पदों पर प्राथमिकता से पदस्थापन किया जाना।
2. ट्रोमा सेन्टर्स रतनगढ, चूरू के भवन निर्माण के उपरान्त भी ट्रोमा सेन्टर आरम्भ करने में 10 वर्षों के विलम्ब के लिये उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही किया जाना।
3. सुजानगढ़ ट्रोमा सेन्टर का टेकनऑवर किस अधिकारी ने किया, घटिया निर्माण के लिए कौन जिम्मेदार है तथा ट्रोमा सेन्टर के भवन में मातृ एवं षिषु केन्द्र किस की अनुमति से संचालित हो रहा है, जबकि भवन का निर्माण ट्रोमा सेन्टर के लिए किया गया था।
4. चौमू ट्रोमा सेन्टर के लिए जेडीए द्वारा भूमि आवंटित करने के बाद भी टेकनऑवर नहीं करने के लिए कौन दोषी रहें, जेडीए द्वारा आवंटन कब निरस्त किया गया, खेल स्टेडियम का निर्माण कब किया गया, जेडीए द्वारा भूमि का आवंटन निरस्त करने के बाद नई भूमि आवंटित कराने के लिए क्या प्रयास किए गये, ट्रोमा के लिए स्वीकृत उपकरणों का उपयोग कहां पर किया जा रहा है, विस्तृत विवरण उपलब्ध करावें।
5. सिकन्दरा ट्रोमा सेन्टर के लिए आवंटित भूमि तक पहुँच का रास्ता ठीक नहीं होने के बावजूद भी भूमि का आवंटन क्यों स्वीकार किया गया, कौन उत्तरदायी है? निर्माण कार्य के 09 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत होने के बाद भी निर्माण कार्य अपूर्ण रहने, भवन के जर्जर होने, ट्रोमा केन्द्र के नवीन भवन में संचालन न होने के सम्बन्ध में दायित्व निर्धारण कर अवगत करावें।
6. गोगुन्दा ट्रोमा सेन्टर पर 65.00 लाख रू0 खर्च हो जाने के उपरान्त भी कोई लाभ न होने के कारण दुर्विनियोजन के लिए जिम्मेदारी तय की जावें। जब ट्रोमा सेन्टर के लिए अस्पताल परिसर में भूमि नहीं थी तो अस्पताल परिसर में निर्माण की स्वीकृति क्यों प्राप्त की गई तथा नवीन आवंटित भूमि उपयोगी न होने पर भी स्वीकार करने के लिए दायित्व निर्धारित करें। अब सेन्टर को कार्यषील बनाने के लिए क्या कार्य योजना है।
7. ट्रोमा सेन्टर भीम, लाखेरी एवं रावतसर का भवन वर्ष 2013 में पूर्ण होने के बावजूद भी उक्त ट्रोमा सेन्टर्स को लगभग 08–09 वर्षों तक क्रियाशील नहीं किये जाने के संबंध में उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही किया जाना ।
8. ट्रोमा सेन्टर भीम में उपलब्ध उपकरणों के संबंध में प्रभारी अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भीम द्वारा अंकेक्षण दल को अवगत कराया गया कि ट्रोमा सेन्टर के लिये उपकरण प्राप्त नहीं हुये, जबकि निदेशालय द्वारा प्रस्तुत अनुपालना में उल्लेखित है कि ट्रोमा सेन्टर के उपकरण प्राप्त हो गये है एवं उप जिला चिकित्सालय भीम मे उपयोग में लिये जा रहे है, इस संबंध में स्पष्ट टिप्पणी प्राप्त किया जाना।
9. चर्चा के दौरान अवगत कराया गया कि ट्रोमा सेन्टर लाखेरी की एक्सरे मशीन केसोरायपाटन में हस्तांतरित कर दी गयी है। अतः उक्त हस्तांरण हेतु उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही किया जाना।

10. एनएचएम से संबंधित आक्षेप संख्या 7.10 "अतिरिक्त कार्यों पर अनियमित व्यय" के संबंध में अवगत कराया गया कि वर्ष 2022 में आयोजित जन लेखा समिति की गत बैठक में नियम विरूद्व Additional Quantities मे निष्पादन के अन्य समान प्रकरणों सें अवगत कराये जाने बाबत् आश्वासन दिया गया था, किन्तु आज दिनांक तक इस संबंध में कोई अन्य प्रकरण प्रस्तुत नहीं करने के लिये उत्तरदायित्व निर्धारण करते हुये अविलम्ब रिपोर्ट प्राप्त किया जाना

11. अनुपालना लेखापरीक्षा वर्ष 2020-21 में वर्णित बिन्दुओं की अनुपालना पर संवीक्षा टिप्पणी उपरान्त जन लेखा समिति को विलम्ब से प्रस्तुत करने हेतु उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही किया जाना।

12. उपरोक्त के अतिरिक्त, ट्रोमा सेन्टर हलैना के क्रियाशील होने के संबंध मे माननीय विधायक महोदय द्वारा रिपोर्ट प्राप्त करने के आग्रह अनुसार ट्रोमा सेन्टर हलैना की नवीनतम स्टेटस रिपोर्ट से अवगत कराया जाना।

उक्तानुसार कार्यवाही करने से पूर्व सभी ट्रोमा सेन्टर पर जांच दल भेजकर निम्न बिन्दुओं के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्राप्त किया जाना भी सुनिश्चित करावेः-

1. ट्रोमा सेन्टर के निर्माण की प्रषासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति कब जारी की गई, स्वीकृति की प्रति, क्रमांक, दिनांक ।
2. निर्माण कार्य किस एजेन्सी के द्वारा किया गया यथा पीडब्लूडी/एनएचएम एवं सम्बन्धित डिविजन का नाम, डिविजन में तत्समय कार्यरत रहे प्रभारी अभियन्ता का नाम एवं अवधि।
3. निर्माण पर कुल कितना व्यय हुआ।
4. निर्माण कब पूर्ण हुआ।
5. निर्मित भवन का हैण्डऑवर/टेकनऑवर कब हुआ।
6. हैण्डऑवर/टेकनऑवर किन-किन अधिकारियों द्वारा किया गया।
7. हैण्डऑवर से अब तक कार्यरत रहें ट्रोमा प्रभारी, सीएमएचओ एवं संयुक्त निदेषक के नाम एवं कार्यरत अवधि।
8. हैण्डऑवर/टेकनऑवर रिपोर्ट, विस्तृत विवरण सहित।
9. वर्तमान में ट्रोमा केन्द्र किस भवन में संचालित है। यदि ट्रोमा भवन में संचालित है तो कब से और नहीं तो क्यों?
10. सीएचसी/एसडीएच में संचालित है तो कब से और संचालन का पूर्ण विवरण।
11. ट्रोमा भवन के हैण्डऑवर होने से संचालन प्रारम्भ होने तक में विलम्ब के क्या कारण रहे? (प्रमाणक सहित)
12. जिन कारणों से ट्रोमा भवन के ट्रोमा सेन्टर में संचालन में विलम्ब हुआ उन्हें दूर करने के क्या प्रयास किए गये? (प्रमाणक सहित)
13. ट्रोमा सेन्टर हेतु स्वीकृत उपकरणों की सूची, वर्तमान में उपलब्ध उपकरणों की सूची, उपलब्ध उपकरणों में से कार्यषील/अकार्यषील उपकरणों का विवरण।
14. उपकरण कब-कब प्राप्त हुए किस एजेन्सी के माध्यम से प्राप्त हुए, कितना व्यय हुआ।
15. ट्रोमा सेन्टर के लिए उपलब्ध कराये गये उपकरण भौतिक रूप से कहा पर स्थापित है और कार्यरत है या अकार्यरत।
16. ट्रोमा सेन्टर की 05 वर्ष की दुर्घटना की संख्या, ओपीडी मरीजो की संख्या, आईपीडी मरीजों की संख्या, रैफर किये गये मरीजों की संख्या और मृत्य की संख्या।
17. एचडीएच/सीएचसी की 05 वर्ष की दुर्घटना की संख्या, ओपीडी मरीजो की संख्या, आईपीडी मरीजों की संख्या, रैफर किये गये मरीजों की संख्या और मृत्य की संख्या।

भवदीया,

(निशा मीना)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, राज0 जयपुर।
2. वित्तीय सलाहकार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0 जयपुर।
3. निदेशक (वित्त), एन.एच.एम., राज. जयपुर।

Document certified by NISHA MEENA <nisha281073@yahoo.co.in>.
Digitally Signed by Nisha Meena
Designation : Joint Secretary To Government
Date :25-10-2024 03:10:31

RajKaj Ref No.: 11410257